

mail

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र./बी-6/नियमन/वि.अनु./फ्लोर लीफ क्ले.एगो/724/4325 भोपाल, दिनांक 19/03/2024
प्रति.

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
विदिशा।


विषय:- मेसर्स फ्लोर लीफ क्लेवर एगो प्रा.लि. को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की अवधि बढ़ाने जाने के संबंध में।

संदर्भ:- मेसर्स फ्लोर लीफ क्लेवर एगो प्रा.लि. का पत्र दिनांक 11/03/2024

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा म प्र कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने आवेदन प्राप्त हुआ है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।


अतः मेसर्स फ्लोर लीफ क्लेवर एगो प्रा.लि. के प्रतिनिधि से संपर्क कर तत्काल चैकलिस्ट अनुसार प्रतिवेदन तैयार कर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध करायें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


संयुक्त संचालक (नियमन)
मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/वि.अनु./फ्लोर लीफ क्ले.एगो/724/4326 भोपाल, दिनांक 19/03/2024
प्रतिलिपि :-

संयुक्त संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल की ओर
आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त संचालक (नियमन)
मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

1:- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के तहत एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय हेतु नवीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में संबंधित मंडी समिति का जांच प्रतिवेदन

मंडी का नाम		
आवेदक या उसकी प्रोप्राइटरशिप/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ एफपीसी/ अन्य का नाम तथा पता		
क्र	नियम-प्रावधान/जांच का विवरण	पूर्ति की स्थिति
1	मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण से क्रय हेतु अनुज्ञप्ति के संबंध में -	
	(i) क्रय उपज के भण्डारण की व्यवस्था, गोदाम का ले-आउट (नक्शा) एवं भंडारण क्षमता का सत्यापन	
	(ii) स्थानीय अधिकारी/ कर्मचारियों की उपलब्धता	
2	क्रय केंद्र स्थापित किये जाने के संबंध में -	
	(i) क्रय केंद्र का नाम तथा पता (प्रत्येक क्रय केंद्र का पृथक-पृथक विवरण प्रस्तुत किया जाए)	
	(ii) नियम 10(1) - क्रय केन्द्र पर उपलब्ध प्रसुविधाओं का सत्यापन -	
	1. इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज	
	2. पेयजल की समुचित व्यवस्था	
	3. समुचित प्रकाश व्यवस्था	
	4. पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा	
	5. शेड की व्यवस्था	
	6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल	
	7. भुगतान काउन्टर	
	8. टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था	
	9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति	
	10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापना की स्थिति का सत्यापन	
	11. क्रय-विक्रय लेखा की मैनुअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण की स्थिति।	
	(iii) नियम 7(3)(दो) - क्रय उपज के भण्डारण की व्यवस्था, गोदाम का ले-आउट (नक्शा) एवं भंडारण क्षमता का सत्यापन	
	(iv) स्थानीय अधिकारी/ कर्मचारियों की उपलब्धता	
	(v) नियम 8(6) - ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय में स्थित क्रियाशील मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण से न्यूनतम तीन किलोमीटर की दूरी पर क्रय केन्द्र स्थापना का प्रमाणीकरण।	
	(कमजोर या निष्क्रिय मंडी या उपमंडी के मामले में एवं फल-सब्जी तथा	

	फूलों के मामले में लागू नहीं)	
(vi)	आवेदक के प्रसंस्करण संयंत्र से न्यूनतम एक किलोमीटर की दूरी पर क्रय केन्द्र स्थापना का प्रमाणीकरण।	
3	नियम 7(3)(तीन) - मंडी क्षेत्र में फर्म की उपलब्ध अचल संपत्ति के स्थल निरीक्षण का सत्यापन प्रतिवेदन।	
	उपलब्ध अचल संपत्ति	
	1.....	
	2.....	
	3.....	
	4.....	
	5.....	
4	वर्तमान अथवा पूर्व में मंडी अनुज्ञप्तिधारी होने की स्थिति में निम्न जानकारी प्रस्तुत करें -	
(i)	अनुज्ञप्ति क्रमांक	
(ii)	कृषक भुगतान में किसी तरह की अनियमितता अथवा व्यतिक्रम की स्थिति	
(iii)	मंडी के शोध्यों, मंडी फीस, निराश्रित सहायता राशि के भुगतान में किसी तरह की अनियमितता/ व्यतिक्रम की स्थिति	
(iv)	गत वर्ष/वर्षों के लेखा सत्यापन की स्थिति	
(v)	गत वर्ष/वर्षों में अनुज्ञप्ति निलंबित/ निरस्त किये जाने की स्थिति	
5	मंडी सचिव का अमांग/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (संलग्न करें)	

संयुक्त/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
ऑंचलिक कार्यालय _____

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
जिला _____